न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पं0 बनेठा
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 1/2018
निर्णय दिनांकः– 18.6.2018

उनवान

भीला पुत्री प्रताप जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक – वादीयां

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 –प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री बी0एल0 कासलीवाल, वकील वादीयां
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीया के पिता प्रतापा पुत्र रामा जाति माली निवासी बनेठा को दिनांक 29.1.1983 को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत राजकीय कृषि प्रयोजनार्थ आराजी ख0न0 2063/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा सिफारिश किये जाने पर आवंटित की गई थी। जिसका कब्जा दिनांक 29.1.83 को वादीया के पिता को सुपुर्द साक्षीगण की उपस्थिति मे पटवारी हल्का द्वारा किया गया था। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही वादीया के पिता तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीया का कजा काश्त चला आ रहा है। दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी के नवीन ख0न0 4995 रकबा 0.36 ह0 बनाये गये है। तत्पश्चात सम्वत 2058 मे ग्राम बनेठा का विभाजन होने पर भू राजस्व विभाग द्वारा नये ख0न0 4034 रकबा 0.36 है0 बनाये गये है। उक्त आराजी वादीया के पिता को आवंटन के समय से ही कब्जा चला आ रहा होने के आधार पर सेटलमेन्ट विभाग को उक्त आराजी वादीया के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करना चाहिये था, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया। इस कारण उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक के रूप मे अंकित है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीया के पिता को आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने की जानकारी होने पर वादीया ने राजस्व अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी खातेदारी मे दर्ज नही करने के कारण उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादग्रस्त आराजी वादीया के नाम खातेदारी मे दर्ज नही करने के कारण आये दिन पटवारी हल्का वादीया को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने व सिविल कारावास भिजवाने की धमकी देने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

यह कि वादीया की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। आराजीयात ख0न0 4034 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक का वादीया को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के तहत नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बनेठा मे सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादीया मय वकील उपस्थित। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित। पेरोकार सरकार से जवाब लिया गया। उभय पक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल आवंटन आदेश दिनांक 29.1.83 के अनुसार भू आवंटन सलाहाकार समिति केम्प बनेठा दिनांक 29.1.83 को प्रतापा पुत्र रामा जाति माली निवासी बनेठा को ग्राम बनेठा मे सिवायचक भूमि ख0न0 2063/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आवंटन की गई है। उक्त आराजी का आवंटी को सुपुर्दगीनामा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.2.83 को दिया गया है। भू प्रबन्ध विभाग नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 2062 मि. व 2063 रकबा —— से हाल ख0न0 4995 रकबा 0.36 है0 कायम हुये है। नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2061 के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 4995 रकबा 0.36 है के नवीन ख0न0 4034 रकबा 0.36 है0 बने है। नकल जमाबन्दी ग्राम बनेठा संवत 2074—2077 मे आराजी ख0न0 4034 रकबा 0.36 है0 नहरी प्रथम सि0चक काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल पी0 14 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीया के पिता व वादीया का अतिक्रमण होना पाया जाता है। वादीया का वादग्रस्त आराजीयात पर निरंतर अतिक्रमण दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि वादी की आवंटित भूमि है । पेरोकार सरकार ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि आवंटन सीलिंग भूमि से सम्बन्धित होने से कीमत भूमि जमा होना अपेक्षित है। वादीया आवंटित भूमि की कीमत जमा कराने को तैयार है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी की निरंतर काश्त का अंकन है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वादी का आवंटन के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अतः राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार की भावना के मध्यनजर रखते हुये वादीया के वाद को आंशिक डिक्री किया जाकर वादीया को आराजी ख0न0 4034 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा नियमानुसार कीमत भूमि जमा कराने के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.6.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

भीला पुत्री प्रताप जाति माली निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक — वादीयां

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 —प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री बी0एल0 कासलीवाल, वकील वादीयां
पेरोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा

मुकदमा नम्बर :— 1 वर्ष 2018

वादी की ओर से श्री बी0एल0 कासलीवाल वकील वादी व प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 18.6.2018 को श्री कैलाश चन्द गुर्जर, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादीया को आराजी ख0न0 4034 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा नियमानुसार कीमत भूमि जमा कराने के बाद राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner